

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

सिंचाई खण्ड-मऊ

पत्रांक

/सि0ख0म0/सिल्ट नीलामी/

दिनांक 13/01/2021

सिल्ट नीलामी सूचना सं0-01/अ0अ0/2020-21

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सिंचाई खण्ड-मऊ के नियंत्रणाधीन नहरों से निकाली गयी सिल्ट की नीलामी लाटवार नीचे लिखित सूची के अनुसार इस खण्ड के कार्यालय में दिनांक 21.01.2021 अपराह्न 1:00 बजे निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जायेगी। नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रति, मोबाइल नं0, नीलामी प्रपत्र का निर्धारित मूल्य एवं धरोहर धनराशि सहित सिंचाई खण्ड-मऊ के कार्यालय में दिनांक 21.01.2021 को दोपहर 12:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा-

क्र0 सं0	नहर का नाम चैनल सहित	सिल्ट की मात्रा (घनमीटर)	विभागीय आकलित धनराशि (रूपये में)	धरोहर धनराशि (रूपये में)	नीलामी प्रपत्र का मूल्य (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1	कोशाडीह राजवाहा के कि0मी0 0.000 से 1.000 तक दायें पटरी पर स्थित सिल्ट की नीलामी।	1000.00	65000.00	6500.00	60.00
2	अहिरौली राजवाहा के कि0मी0 0.500 से 5.500 तक दायें पटरी पर स्थित सिल्ट की नीलामी।	4000.00	260000.00	26000.00	180.00
3	पिपरौल राजवाहा के कि0मी0 0.100 से 6.000 तक दायें पटरी पर स्थित सिल्ट की नीलामी।	2500.00	162500.00	16250.00	90.00
4	एप्रोच चैनल के कि0मी0 0.000 से 0.100 तक दायें पटरी पर स्थित सिल्ट की नीलामी।	5000.00	325000.00	32500.00	180.00
5	सूरजपुर माइनर के कि0मी0 0.000 से 4.000 तक दायें पटरी पर स्थित सिल्ट की नीलामी।	2500.00	162500.00	16250.00	90.00
6	नत्थूपुर राजवाहा के कि0मी0 0.000 से 10.00 तक दायें पटरी पर स्थित सिल्ट की नीलामी।	6000.00	390000.00	39000.00	180.00
7	कटघरा माइनर के कि0मी0 0.000 से 0.500 तक दायें पटरी पर स्थित सिल्ट की नीलामी।	500.00	32500.00	3250.00	60.00
8	बावनडीह माइनर के कि0मी0 0.000 से 2.000 तक दायें पटरी पर स्थित सिल्ट की नीलामी।	1500.00	97500.00	9750.00	60.00
9	मीरपुर माइनर के कि0मी0 0.000 से 0.500 तक दायें पटरी पर स्थित सिल्ट की नीलामी।	400.00	26000.00	2600.00	60.00
10	फतेहपुर माइनर के कि0मी0 0.000 से 3.000 तक दायें पटरी पर स्थित सिल्ट की नीलामी।	1000.00	65000.00	6500.00	60.00
11	मधुबन माइनर के कि0मी0 0.000 से 1.000 तक दायें पटरी पर स्थित सिल्ट की नीलामी।	700.00	45500.00	4550.00	60.00
12	कुरौली माइनर के कि0मी0 0.000 से 0.500 तक दायें पटरी पर स्थित सिल्ट की नीलामी।	300.00	19500.00	1950.00	60.00

-: नियम एवं शर्तें :-

- सिल्ट की नीलामी सिंचाई खण्ड-मऊ के कार्यालय में दिनांक 21.01.2021 को अपराह्न 1:00 बजे की जायेगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति नीलामी से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सिंचाई खण्ड-मऊ के कार्यालय में सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।
- नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति सामग्री/लाट के सम्मुख अंकित धरोहर धनराशि एवं नीलामी मूल्य की धनराशि का अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-मऊ के नाम से जो मऊ में देय हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति, मोबाइल नं0 के साथ दिनांक 21.01.2021 को दोपहर 12:00 बजे तक खण्डीय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष व्यक्तियों की धरोहर धनराशि को नियमानुसार वापस कर दिया जायेगा।

क्रमशः.....2.....


4. नीलामी हेतु सामग्री/सिल्ट जहां है, जैसे है की स्थिति में प्रदान किया जायेगा। बोलीदाता के जोखिम एवं उत्तरदायित्व नीलामी सामग्री के सम्बन्ध में कोई शिकायत स्वीकार नहीं होगी।
5. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. सफल बोली की शेष 90 प्रतिशत धनराशि को सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी स्वीकृति के पश्चात् सूचना प्रेषण की तिथि से तीन दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। धनराशि जमा करने के उपरान्त सक्षम अधिकारी से सिल्ट उठाये जाने के लिखित आदेश मिलने के पश्चात् 15 दिवस के अन्दर स्वयं के खर्च से उठाना अनिवार्य होगा।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा निर्धारित स्थिति में 90 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा न करने पर पूर्व में जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. सफल बोलीदाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा कि वह सिल्ट उठाने के दौरान सिंचाई विभाग की नहरों में कोई क्षति/नुकसान नहीं पहुँचायेगा। यदि बोलीदाता द्वारा कोई क्षति/नुकसान पहुँचाया जाता है, तो उसको व्यक्तिगत खर्च पर नहर को पूरी तरह से विभागीय मानकों के अनुरूप ठीक करना होगा।
9. सिल्ट उठाने का कार्य सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर या अन्य नामित अधिकारी/कर्मचारी की देख-रेख में सम्पादित किया जायेगा।
10. रायल्टी के रूप में जमा की जाने वाली कुल धनराशि के सापेक्ष सफल निविदाकार को नियमानुसार जिला खनिज न्यास, टी0सी0एस0 एवं जी0एस0टी0 जमा करना होगा।
11. जिन वाहनों/मशीन से सिल्ट का परिवहन किया जायेगा उसका विवरण खण्ड को उपलब्ध कराना होगा।
12. मा0 न्यायालय/मा0 निर्वाचन आयोग, भारत सरकार/उ0प्र0 शासन/सिंचाई विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड-मऊ

पत्रांक- 92 / सि0ख0म0 / सिल्ट नीलामी / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0-गोरखपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल-बलिया।
3. जिलाधिकारी महोदय, मऊ।
4. पुलिस अधीक्षक-मऊ।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0)-मऊ।
6. अधिशारी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, बलिया/बाढ़ खण्ड, आजमगढ़/नलकूप खण्ड-मऊ एवं सिंचाई खण्ड-प्रथम बलिया।
7. निरीक्षक खनन विभाग-मऊ।
8. सहायक अभियन्ता, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, सिंचाई खण्ड-मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त नीलामी का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
9. नोटिस बोर्ड हेतु।


अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड-मऊ